भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 237
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना

*237. श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः
डॉ. भारती प्रवीण पवारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास हेतु उनको विशेष रूप से केन्द्रित करके विगत तीन वर्षों के दौरान कोई नई योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इन नई स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया;
(घ) क्या सरकार का इस दिशा में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य निजी संगठनों को सम्मिलित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने और सहयोग प्रदान करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

'ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना' विषय पर श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा और डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के भाग(क) से (ड.) से संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तौर पर नवम्बर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र स्कीम का अनुमोदन किया। स्कीम का उद्देश्य केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों ही स्तरों पर महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों का अंतरक्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है। स्कीम में ब्लॉक स्तरीय पहलों के रूप में 115 आकांक्षी जिलों में कॉलेज छात्र वॉलेंटियरों के माध्यम से सामुदायिक जुटाव; महिला केंद्रित स्कीमों को सुविधाजनक बनाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी) स्कीम के लिए आधार प्रदान करने के लिए 640 जिलों में जिला स्तरीय महिला केंद्र; महिला केंद्रित स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संबंधित सरकार को सहयोग देने के लिए राज्य महिला संसाधन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय गतिविधियों के लिए अलग से आबंटित निधियों से बीबीबीपी के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के तौर पर भी कार्य करने की कल्पना की गई है।

0-6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण स्तर में निर्धारित लक्ष्यों सहित एक समयबद्ध तरीके से सुधार लाने के लिए 18 दिसम्बर, 2017 से पोषण अभियान का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले मजदूरी के नुकसान की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए 01 जनवरी, 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीवाई) लागू की गई है।

मिशन अंत्योदय के तहत आकांक्षी जिलों और क्लस्टर को प्राथमिकता देते हुए सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) हासिल करने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों(ईआर) के लिए क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण(सीबीएंडटी) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों(पीआरआई) को सुदृढ़ करने के मुख्य उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2018 को पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) की शुरूआत की। स्कीम में लगभग 31 लाख पंचायतों जिनमें से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों(ईडब्ल्यूआर) की संख्या उल्लेखनीय(42%) है, के लिए छह महीने के भीतर आधारभूत उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और दो वर्ष के भीतर पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आरजीएसए में भी प्रभावी सामुदायिक जुटाव और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) - पीआरआई अभिसरण पर जोर दिया गया है।

(ग) : महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों(वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-। पर है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण अनुलग्नक-।। पर है।

(घ) और (ड.) : महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत, खासतौर से सुदूर/संवेदनशील क्षेत्रों, जहां महिलाएं औपचारिक कौशल प्रशिक्षण के लिए अपने दायरे से आसानी से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं होतीं, में रहने वाली महिलाओं की आजीविका जरूरतों के समाधान के लिए 115 आकांक्षी जिलों में कम से कम 50% एमएसके ब्लॉकों में गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ)/सहकारी समितियों/कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से महिला समूहों के क्षमता- निर्माण की कल्पना की गई है। संबंधित आकांक्षी जिले के जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को गैर-सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करने और दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के परिशिष्ट के अनुसार उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है।

*****

अनुलग्नक- I

'ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना' विषय पर श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा और डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के भाग(ग) में संदर्भित विवरण

महिला शक्ति केंद्र के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियां(केंद्रीय अंश)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	वत्त वर्ष **2017-18**	वत्त वर्ष **2018-19**	वत्त वर्ष **2019-20 (02.03.2020** तक**)**
1	डमान और निकोबार	10.9	0	20.58
2	आंध्र प्रदेश	7.39	277.2	21.13
3	अरुणाचल प्रदेश	0	151.35	38.61
4	असम	980	0	88.30
5	बिहार	1022.2	25.83	48.62
6	चंडीगढ़	10.9	33.44	14.03
7	छत्तीसगढ़	863.19	7.28	35.41
8	दादरा और नगर हवेली	10.9	0	10.48
9	दमन और दीव	10.9	6.15	19.90
10	दिल्ली	0	0	0
11	गोवा	0	0	11.42
12	गुजरात	49.1	214.64	98.14
13	हरियाणा	0	6.91	94.57
14	हिमाचल प्रदेश	0	137.45	52.94
15	जम्मू और कश्मीर	22.5	241.71	13.71
16	झारखंड	1776.36	0	29.71
17	कर्नाटक	10.8	169.83	62.92
18	केरल	0	74.26	34.32
19	लक्षद्वीप	10.9	0	4.83
20	मध्य प्रदेश	0	479.02	31.46
21	महाराष्ट्र	0	144.63	22.88
22	मणपुर	137.34	33.21	4.29
23	मेघालय	61.31	158.85	25.74
24	मजोरम	117.82	166.77	109.72
25	नागालैंड	95.13	221.57	80.76
26	ओडशा	0	737.95	37.18
27	पुद्दुचेरी	54.06	9.18	14.30
28	पंजाब	0	87.50	7.30
29	राजस्थान	74.9	278.24	25.14
30	सक्किम	0	99.85	4.29
31	तमलनाडु	36.18	227.86	105.81
32	तेलंगाना	13.2	288.62	11.26
33	त्रिपुरा	19.9	125.50	0
34	उत्तर प्रदेश	0	362.13	17.16
35	उत्तराखंड	18.89	226.14	31.21
36	पश्चिम बंगाल	24.37	453.62	31.46
	कुल	**5439.14**	**5446.69**	**1259.58**

अनुलग्नक - **II**

'ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना' विषय पर श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा और डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के भाग(ग) में संदर्भित विवरण

2018-19 से 2019-20 की अव ध में आजीपीएसए/सीबीपीएसए/आरजीएसए के तहत स्वीकृत और निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नि धयां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	आरजीएसए			
		2018-19		**2019-20**	
		एएपी अनुमोदित	निर्मुक्त	एएपी अनुमोदित	निर्मुक्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.5	0	1.69	0
2	आंध्र प्रदेश	128.54	67.69	183.84	0
3	अरुणाचल प्रदेश	40.72	33.19	46.58	39.59
4	असम	77.27	39.21	76.02	23.22
5	बिहार	108.02	4.25	76.24	0
6	चंडीगढ़		0	0	0
7	छत्तीसगढ़	25.87	7.24	37.29	
8	दादरा और नगर हवेली	1.628	0	2.9	0
9	दमन और दीव	1.21	0	0.89	0
10	गोवा	4.39	0	3.71	0
11	गुजरात	27.92	0	55.09	0
12	हरियाणा	55.55	6.99	136.48	0
13	हिमाचल प्रदेश	19.18	17.26	127.95	10.00
14	जम्मू और कश्मीर	49.51	25.06	197.21	6.19
15	झारखंड	28.53	4.49	34.62	0
16	कर्नाटक	66.08	0	71.03	0
17	केरल	51.78	7.68	52.81	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	215.29	62.79	229.84	85.48
20	महाराष्ट्र	102.54	11.54	119.71	8.43
21	मणपुर	20.6	9.25	15.51	4.54
22	मजोरम	10.97	9.85	9.88	0.5
23	मेघालय	9.86	4.44	15.02	2.63
24	नागालैंड	8.76	7.89	10.14	3.94
25	ओडशा	50.68	0	28.55	0
26	पुदुचेरी	0	0	4.01	0
27	पंजाब	98.93	29.68	91.12	0
28	राजस्थान	61.81	25.57	83.31	0
29	सक्किम	11.29	5.08	11.80	5.1
30	तमलनाडु	96	57.6	190.37	5.3
31	तेलंगाना	66.75	0	279.52	0
32	त्रिपुरा	7.5	2.77	16.51	0
33	उत्तर प्रदेश	249.24	57.14	842.45	169.92
34	उत्तराखंड	37.37	33.05	62.80	23.79
35	पश्चिम बंगाल	91.59	54.94	98.24	44.1
	कुल	**1826.878**	**584.65**	**3213.13**	**432.73**